

पालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

0
/2025

तारीख दायरा
15.04.2025

तारीख फैसला
24/12/25

असीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- यशोदा बाई पुत्री धन्नलाल पत्नी कृष्ण मुरारी जाति मेघवाल निवासी रेलगांव तहसील दीगोद हाल निवासी झोपडिया अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
(वादी)

बनाम

- 1- राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से - श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरुस्ती

--: निर्णय :-

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1-यह कि ग्राम धौरी तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 241 खसरा न० 258 रकबा 0.93 है० खसरा न० 260 रकबा 0.10 हे० खसरा न० 298 रकबा 0.66 हे० खसरा न० 356 रकबा 0.34 हे० खसरा न० 381 रकबा 0.50 हे० खसरा न० 382 रकबा 0.89 है० खसरा न० 383 रकबा 0.57 है० खसरा न० 384 रकबा 0.40 है० खसरा न० 385 रकबा 1.03 है० खसरा न० 386 रकबा 0.51 है० खसरा न० 387 रकबा 0.46 है० खसरा न० 388 रकबा 0.96 है० खसरा न० 389 रकबा 0.09 हे० खसरा न० 395 रकबा 2.94 हे० खसरा न० 397 रकबा 0.72 हे० खसरा न० 410 रकबा 0.33 है० खसरा न० 414 रकबा 0.35 है० खसरा न० 415 रकबा 1.15 है० कुल 18 किता रकबा 12.93 है० भूमी दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादनी का नाम जसोदा बाई पुत्री धन्नलाल दर्ज है। जमाबन्दी सम्मत 2073 2076 संलग्न है।

2-यह कि वादनी का नाम नामा० दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम जसोदा बाई के नाम से नामा० दर्ज कर दिया गया है जब कि वादनी का वास्तविक नाम यशोदा बाई है तथा समस्त दस्तावेजो में भी वादनी का नाम यशोदा बाई है जिसमे वादनी को सरकारी योजनाओ मे किसान कॅडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

3-यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र पेन कार्ड बैंक डायरी अंकतालिका आदि मे वादनी का नाम यशोदा बाई है वादनी का नाम ग्राम धौरी की जमाबन्दी मे जसोदा बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमी सुधार के लिये किसान कॅडिड कार्ड लेने से वंचित हो रही है वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानून अधिकार है इस लिये वादनी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

4-यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी यशोदा बाई के स्थान पर जसोदा बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त गण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम जसोदा बाई के स्थान पर यशोदा बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 11/03/2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5-यह कि वाद कारण दिनांक 11/03/2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरुस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम धौरी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामिल खेतों में खाता संख्या 241 खसरा न० 258 रकबा 0.93 है० खसरा न० 260 रकबा 0.10 है० खसरा न० 298 रकबा 0.66 है० खसरा न० 356 रकबा 0.34 है० खसरा न० 381 रकबा 0.50 है० खसरा न० 382 रकबा 0.89 है० खसरा न० 383 रकबा 0.57 है० खसरा न० 384 रकबा 0.40 है० खसरा न० 385 रकबा 1.03 है० खसरा न० 386 रकबा 0.51 है० खसरा न० 387 रकबा 0.46 है० खसरा न० 388 रकबा 0.96 है० खसरा न० 389 रकबा 0.09 है० खसरा न० 395 रकबा 2.94 है० खसरा न० 397 रकबा 0.72 है० खसरा न० 410 रकबा 0.33 है० खसरा न० 414 रकबा 0.35 है० खसरा न० 415 रकबा 1.15 है० कुल 18 किता रकबा 12.93 है० भूमि जिसमें वादनी का नाम जसोदा बाई के स्थान पर यशोदा बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

1- कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे की वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

2- कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

3- कि अन्य सहायता व भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैं:-

1. नकल जमाबन्दी सवन्त 2073-2076 ग्राम धौरी खाता सं० नया 241
2. प्रमाण पत्र द्वारा जारी प्रशासक ग्राम पंचायत रेलगांव 40 स० सुल्तानपुर
3. नकल छायाप्रति पेंशन पीपीओ
4. नकल छाया प्रति आधार कार्ड
5. नकल छाया प्रति पेन कार्ड
6. नकल छायाप्रति वोटरआईडी कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादीनी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दिया गया, PW2 में लाल चन्द आत्मज रामरतन जाति मेघवाल निवासी रेलगांव, PW3 में रूपचंद आत्मज धन्नालाल निवासी रेलगांव का दिया गया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब
गैर, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे
कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादीनी
का नाम जसोदा बाई के स्थान पर जसोदा बाई उर्फ यशोदा बाई किया जाना उचित प्रतीत
होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम धौरी
तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामिलती खातों मे खाता संख्या 241 खसरा न0
258 रकबा 0.93 है० खसरा न0 260 रकबा 0.10 है० खसरा न० 298 रकबा 0.66 है०
खसरा न० 356 रकबा 0.34 है० खसरा न0 381 रकबा 0.50 है० खसरा न० 382 रकबा 0.
89 है० खसरा न० 383 रकबा 0.57 है० खसरा न० 384 रकबा 0.40 है० खसरा न० 385
रकबा 1.03 है० खसरा न० 386 रकबा 0.51 है० खसरा न0 387 रकबा 0.46 है० खसरा
न० 388 रकबा 0.96 है० खसरा न० 389 रकबा 0.09 है० खसरा न० 395 रकबा 2.94 है०
खसरा न० 397 रकबा 0.72 है० खसरा न0 410 रकबा 0.33 है० खसरा न० 414 रकबा 0.
35 है० खसरा न0 415 रकबा 1.15 है० कुल 18 किता रकबा 12.93 है० भूमी में वादीनी
का नाम जसोदा बाई के स्थान पर जसोदा बाई उर्फ यशोदा बाई दर्ज करने के आदेश
दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
दीगोद